भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1405
उत्तर देने की तारीख 30 जुलाई, 2026

दूरसंचार अवसंरचना का राष्ट्रीय प्रत्यास्थता (रेज़िलिएंस) संपरीक्षा

1405. **श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने 2024-2026 के दौरान साइबर हमलों, प्राकृतिक आपदाओं और बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने की दृष्टि से दूरसंचार अवसंरचना का राष्ट्रीय प्रत्यास्थता (रेज़िलिएंस) संपरीक्षा किया है;
(ख) इनमें सेवा प्रदाता-वार कौन-कौन सी कमियां पाई गईं हैं; और
(ग) सुधारात्मक उपाय लागू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर)

(क) से (ग) सरकार दूरसंचार विभाग द्वारा जारी "आपदा संबंधी प्रतिक्रियाओं हेतु दूरसंचार सेवाओं के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी-2020)" के माध्यम से आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं सहित, के प्रति दूरसंचार अवसंरचना की निरंतर निगरानी, प्रत्यास्थता (रेज़िलिएंस) का आंकलन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनः बहाली का आकलन करती है। जबकि, दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के तहत स्थापित ढांचे के माध्यम से साइबर हमलों के खिलाफ दूरसंचार बुनियादी ढांचे के प्रत्यास्थता (रेज़िलिएंस) का आकलन किया जा रहा है, जो दूरसंचार संस्थाओं द्वारा उचित सुरक्षा नियंत्रण के साथ जोखिम मूल्यांकन और कार्यान्वयन का प्रावधान करता है।

तथापि, दूरसंचार विभाग द्वारा 2024-2026 के दौरान साइबर हमलों, प्राकृतिक आपदाओं और बिजली कटौती के प्रति दूरसंचार अवसंरचना की कोई विशिष्ट राष्ट्रीय प्रत्यास्थता (रेज़िलिएंस) संपरीक्षा नहीं की गई।
